

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुगति वाद संख्या :-290/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बिरसा कमलबा.....आवेदक/विक्रेता

सुशान्ति कन्डीर.....क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
30.12.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती बिरसा कमलबा पिता/पति स्व० डेरी मुन्डा ग्राम-कमन्ता, टंगराटोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि का विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">कमन्ता</td> <td rowspan="3">79</td> <td rowspan="3">6</td> <td>1070</td> <td>0.06½</td> </tr> <tr> <td>1069</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.07½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती बिरसा कमलबा पिता/पति स्व० डेरी मुन्डा ग्राम-कमन्ता, टंगराटोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती सुशान्ति कन्डीर पिता/पति प्रमोद कन्डीर ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदिका/आवेदिक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद 0967261256 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 759 दिनांक 18.10.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम कीलु मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयत में से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कमन्ता	79	6	1070	0.06½	1069	0.01		0.07½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)												
कमन्ता	79	6	1070	0.06½												
			1069	0.01												
				0.07½												

भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 15 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिरसे की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 94 दिनांक 23.03.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2023/94363 दिनांक 01.04.2023 वो आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2023/46227 दिनांक 22.03.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 759 दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विरसा कमलवा पिता/पति स्व० डेरी मुन्डा ग्राम-कमन्ता, टंगराटोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती सुशान्ति कन्डीर पिता/पति प्रमोद कन्डीर ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं० 6 खेसरा संख्या 1070 एवं 1069 क्रमशः रकबा 0.06½ एकड़ एवं 0.01 एकड़ कुल रकबा 0.07½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।